

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक : एफ2(118)सूप्रौ/2025/03479/2026

जयपुर, दिनांक: 29/09/2026

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (समय-समय पर संशोधित) के नियम-28 के अंतर्गत दिनांक 25.01.2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या सं.वि.सं. 13/EXAM/PROGRAMMER/EP-I/2023-24 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक एफ7(19)परीक्षा/ए.सी.पी.-प्रोग्रामर/RPSC/EP-I/2022-23/20 दिनांक 14.06.2024 के क्रम में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से "प्रोग्रामर" के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से अस्थाई आधार पर "प्रोग्रामर" के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिक्रमणार्थी प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रुपये 31100/- प्रतिमाह (Fixed Remuneration to Probation Trainee, Corresponding Level-12) एवं अधोलिखित शर्तों पर निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण तिथि से सशर्त नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	रोल नं. मेरिट नं.	नाम एवं पिता का नाम मय आधार नंबर	जन्म तिथि	आवंटित श्रेणी	आवंटित कार्यालय/ पदस्थापन विभाग	फोटो	विशेष विवरण
1.	2109679 M-2	ANIL KUMAR MEENA S/O SHRI RAM MEENA XXXXXXXX1622	10/03/1995	Gen-M	DOIT&C, HQ, JAIPUR		-
2.	2088740 M-97A	VIVEK SHARMA S/O RISHI KUMAR SHARMA XXXXXXXX5371	14/10/1995	Gen-M	PANCHAYAT SAMITI, DOIT&C-PS OFFICE, SRI GANGANAGAR SOUTH (HQ SRI GANGANAGAR), SHRI GANGANAGAR		-
3.	2077878 M-200A	JYOTI GARG D/O BHARAT KUMAR GARG XXXXXXXX4805	15/08/1996	OBC-F	MUNICIPAL TOWNS, DOIT&C- MT OFFICE, VIJAY NAGAR, BEAWAR		-
4.	2130465 M-299	DEEPAK MEENA S/O RAMHANS MEENA XXXXXXXX8530	02/07/2000	ST-M	MUNICIPAL TOWNS, DOIT&C- MT OFFICE, RAMGANJMANDI, KOTA		-
5.	2118266 M-311A	BHAVANA AGRAWAL D/O PRAMOD KUMAR GOYAL XXXXXXXX2564	11/05/1994	Gen-F-WD	DOIT&C, HQ, JAIPUR		-
6.	2078893 M-336A	SONU KUMAR VERMA S/O KALU RAM VERMA XXXXXXXX2783	10/10/1993	SC-M-HI	DIRECTORATE, SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT, JAIPUR		-

क्र.सं.	रोल नं. मेरिट नं.	नाम एवं पिता का नाम मय आधार नंबर	जन्म तिथि	आवंटित श्रेणी	आवंटित कार्यालय/ पदस्थापन विभाग	फोटो	विशेष विवरण
7.	2081819 R-2	AVINASH SHARMA S/O NAND KISHOR SHARMA XXXXXXXX6378	14/02/1989	Gen-M	DOIT&C, HQ, JAIPUR		-

नोट:- उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन इस विभाग द्वारा वांछित दस्तावेजों के सत्यापन तथा पुलिस चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की सही रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर दी गई है।

नियुक्ति/पदस्थापन शर्तें:

1. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि उपरोक्त अंकित पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
2. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि वही है, जो इनके द्वारा परीक्षा आवेदन-पत्र में अंकित की गई है और जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकार किया गया है।
3. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी एवं नियुक्ति/पदस्थापन से संबंधित समय-समय पर जारी किए गए निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
4. उक्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।
5. परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना राजस्थान सिविल सेवा (संशोधन वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा - मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
6. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही 'प्रोग्रामर' के पद का Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे-मैट्रिक्स लेवल Level-12 (First Cell, L-12) का न्यूनतम वेतनमान 44300/- रुपये निर्धारित किया गया है एवं भत्ते नियमानुसार देय होंगे। कार्यग्रहण करने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित नव पदस्थापन विभाग एवं दूसरी प्रति इस विभाग के विभागाध्यक्ष यथा "आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आई. टी. बिल्डिंग, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.) - 302005" को आवश्यक रूप से भेजें। कार्यभार संभालने की रिपोर्ट मय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि ई-मेल oic.estt@rajasthan.gov.in पर भेजी जानी अनिवार्य है।
7. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर की जा रही है। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक नियुक्ति दिनांक के बाद की होनी आवश्यक है। वर्तमान में जो राज्य सरकार के कार्मिक है उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
8. अभ्यर्थी का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण-पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं महिला अभ्यर्थी होने की दशा में, स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologist) के भी हस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र के बिना उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
9. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र (LPC) भी प्रस्तुत करना होगा। LPC ना होने की स्थिति में LPC प्राप्त करने हेतु किए गए आवेदन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाए अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष प्रोग्रामर होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।



11. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये सममूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किए गए प्रमाण-पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाए जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकेगी।
12. उक्त नव चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार सम्भालना होगा अन्यथा उक्त नियुक्ति/पदस्थापन आदेश निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी भी प्रकार का किराया-भाड़ा या भत्ता आदि देय नहीं होगा।
14. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधान लागू होंगे।
15. उक्त अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(रामेश्वर लाल सोलंकी)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेरा।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष (.....) को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्र में अंकित आवश्यक वांछित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसे कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त अभ्यर्थी के पद के विरुद्ध अन्य किसी कार्मिक के कार्यरत/पदस्थापित होने की स्थिति में पूर्व पदस्थापित कार्मिक को कार्यमुक्त करते हुए नव चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करावें। साथ ही, कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति विभाग की ई-मेल oic.estt@rajasthan.gov.in पर भिजवावें।
6. कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
7. सम्बन्धित प्रोग्रामर (.....) को पालनार्थ।
8. लेखा शाखा।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी